

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 2039/9-1-2020-69टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत महाराजगंज, जिला-आजमगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-2391/9-1-2020-69टी0ए0/20, दिनांक-22 दिसम्बर, 2020 को जारी करके तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण कार्यालय ज्ञाप संख्या-1439/9-1-2022-69टी.ए./20, दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-5408-टी/9-1-78-42-टी(5)-72, दिनांक 05 जुलाई, 1978 तथा समय-समय पर इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत महाराजगंज, जिला-आजमगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची


नगर पंचायत महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र :-

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्याओं का विवरण
1	उसुरकुढ़वा	उत्तर-पश्चिम	01 से 825 तक,
2	अछैवट	उत्तर-पश्चिम	01 से 350 तक,
3	प्रतापपुर	पूर्व	01 से 331 तक।


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक-22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।


आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) मण्डलायुक्त, आजमगढ़, मण्डल, प्रयागराज।
- (2) जिलाधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ।
- (8) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महाराजगंज, आजमगढ़
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

In pursuance of the provisions under clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-**2039/9-1-2022-69T.A./20** dated July **22**, 2022.

NOTIFICATION

**No.- 2039/9-1-2022-69T.A./2020
Lucknow; Dated: July 22, 2022**

WHEREAS Government Notification no.-2391/IX-1-2020-69T.A./20, dated: December, 22, 2020 was issued and published in the Gazette with a view to invite objections and suggestions from general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Mahrajganj, District Azamgarh as required by sub-section (1) section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Office Memorandum no-1439/9-1-2022-69T.A./20 dated June 10, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of Notification no.5408-T/IX-1-78-42-T(5)-72 dated July 05, 1978, and other previous notifications issued from time to time the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Mahrajganj, District Azamgarh for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Mahrajganj in District Azamgarh :-

Sr. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	Usurkudhwa	North-West	01 to 825,
2	Achhaiwat	North-West	01 to 350,
3	Pratappur	East	01 to 331,


(Amrit Abhijat)
Principal Secretary